जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति   दिनांक 24.09.2021

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा बिजली तार चोरी में शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये 10 बण्डल एल्यूमीनियम बिजली तार एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहन बरामदः -

आज दिनांक 24.09.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी के अनावरण एवं चोरी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा सूचना पर जंगल ग्राम बलवा में हुई बिजली के तार चोरी की घटना में लिप्त 01 शातिर चोर को चोरी के 10 बण्डल एल्यूमीनियम बिजली के तार एवं परिवहन में प्रयुक्त बुलेरो गाड़ी नम्बर UP-19T-6972 सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मौके से दो साथी भागने में सफल रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी हेतु सर्च ऑपरेशन जारी हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ कर अन्य घटनाओं की जानकारी की जा रही हैं।

ज्ञात हो श्री नितिश कुमार अवर अभियन्ता 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र बलवा थाना कोतवाली, जनपद शामली द्वारा जंगल ग्राम बलवा में विद्युत विभाग के एलटी लाइन के बिजली के तार अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की गयी। दाखिल तहरीर के आधार सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में कोतवाली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना के सम्बन्ध में आस-पास के लोगों से पूछताछ कर महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की गई।

अपराध का तरीकाः- अभियुक्त से पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि उसके द्वारा जंगल ग्राम बलवा से किसानों के ट्यूवबैल को जाने वाली लाइन तीन खम्भों के तीनों तारों को काटकर चोरी किया था। जिसे वह 5-6 फीट लम्बे टुकड़े में काटकर गाड़ी में भरकर ऊपर से तिरपाल से ढककर बेचने के लिए पानीपत की ओर जा रहे थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- शेखर पुत्र बबली निवासी खेड़ी करमू थाना कोतवाली जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तारअभियुक्तः-

1-मु0अ0सं0 179/21 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना कोतवाली शामली।

2-मु0अ0सं0 339/21 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना कोतवाली शामली।

बरामदगी का विवरण-

1-चोरी किया 10 बण्डल एल्यूमीनियम बिजली तार।

2-घटना में प्रयुक्त बुलेरो गाड़ी नम्बर UP-19T/6972।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार चतुर्वेदी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2- हे0का0 सुरेश कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3- का0 रमाकान्त थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

थाना थाना भवन

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा शातिर 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल (02 सोने की अगूंठी, 01 जोड़ी चांदी की पाजेब, 01 चांदी की अगूंठी), 01 मोबाइल, चोरी की मोटरसाइकिल एवं अवैध हथियार बरामदः-

आज दिनांक 24.09.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी की घटनाओं के अनावरण एवं चोरी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा सूचना पर 02 चोरों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जिनके कब्जे से 02 सोने की अगुंठी, 01 जोड़ी चांदी की पाजेब, 01 चांदी की अगुंठी, 01 मोबाइल, 01 चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध 01 चाकू बरामद हुआ है। जिनका एक साथी मौके से निकल भागने में सफल रहा है। जिसकी गिरफ्तारी के लिए काम्बिंग ऑपरेशन जारी है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बरामदा मोटरसाइकिल के चोरी होने के संबंध में जानकारी की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 23.09.2021 को श्री रोहताश पुत्र रघुवीर निवासी अम्बेहटा याकूबपुर थाना थानाभवन, जनपद शामली द्वारा घर से 02 मोबाइल एवं 01 जोड़ी पाजेब चांदी की अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर तहरीर दाखिल की गयी। दाखिल तहरीर के आधार सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

अपराध का तरीकाः- गिरफ्तार अभियुक्तों से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि दिनांक 23.09.2021 की वे (गिरफ्तार व फरार अभियुक्त) उक्त बरामदा मोटरसाइकिल से गांव याकूबपुर एवं अम्बेहटा में देर रात्रि में पहुंचे,जहां याकूबपुर में एक घर में सो रहे परिवार के सदस्यों से बचकर चुपचाप घुसे और दो मोबाइल व अलमारी से 01 जोडी पाजेब चोरी कर पास के ही दूसरे गांव अम्बेहटा पहुंचे जहा एक घर में घूसे थे और वहां से दो सोने की अगूंठी व 01 चांदी की अगूंठी चोरी की थी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.शाकिब पुत्र शमशाद निवासी मौहल्ला अफगनान थाना ननौता जनपद सहारनपुर।

2 शहजाद पुत्र भूरा निवासी मौहल्ला चामजनीकोर थाना ननौता जनपद सहारपुर।

नाम व पता फरार अभियुक्तः-

1-समीर पुत्र शौकत निवासी कस्बा व मार्केट ननौता थाना ननौता जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

1- 01 मोबाइल (सैमसंग कम्पनी)।

2- 01 जोड़ी पाजेब।

3- चोरी की स्पेलण्डर मोटरसाइकिल रंग काला नम्बर HR-04C/0795।

4- अवैध 01 चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री सचिन पूनिया थाना थानाभवन जनपद शामली।

2- हे0का0 जुल्फिकार अली थाना थानाभवन जनपद शामली।

3- हे0का0 सुरेन्द्र त्यागी थाना थानाभवन जनपद शामली।

4- का0 गंगन पूनिया थाना थानाभवन जनपद शामली।

कार्यालय
थाना-थानाभवन
जनपद-शामली (उ.प्र.)

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा चौसाना बम विस्फोट मामले में 25,000 रुपये के वांछित इनामी अभियुक्त दाऊद को शामली पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार/साथ ही पुलिस अभिरक्षा में आये मोनीश व तैमूर की निशादेही पर बम बनाने में प्रयुक्त हुई सामग्री की बरामदगी की गई।

दिनांक 14.09.2021 कस्बा चौसाना में बिजली के सामान की दुकान में बम धमाके की घटना हुई थी। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना स्थल का दौरा कर उस मामले को गम्भीरता से लेते हुए घटना के अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी कैराना के नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस के अतिरिक्त सर्विलांस एवं एसओजी की टीम को लगाया गया था। जिनके द्वारा घटना से जुड़े हुए अभियुक्तों के बारे में जानकारी एकत्रित कर 02 अभियुक्तों तैमूर व मोनीश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। लम्बी पूछताछ के कारण गिरफ्तार अभियुक्त मोनीश व तैमूर से बम बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री की बरामदगी समय के अभाव के कारण नही हो पाई थी। जिसको लेकर थाना झिंझाना पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस अभिरक्षा में विस्तृत पूछताछ के उपरांत बम बनाने में प्रयुक्त सामग्री/बम बनाने के स्थान के बारे में अभियुक्तों द्वारा जानकारी दी गई। बम बनाने के उपरान्त शेष बची सामग्री के विषय में भी जानकारी की गई तथा दोनों अभियुक्तों द्वारा बम बनाने में इस्तेमाल सामग्री में शेष बची सामग्री एवं उपकरण बरामद कराया गया है। जिनका विवरण इस प्रकार है –

1-ग्राइन्डर मशीन।

2-लोहे का शॉकेट (जिसमें सामग्री डाल कर बम बनाया गया था)।

3-एक पालीथीन में रखे हुए कांच के टूकडे।

4-एक पालीथीन से लगभग 200 ग्राम गंधक (सल्फर)।

5-एक पालीथीन से 700 ग्राम कलमीसोरा (पोटेशियम नाइट्रेट)।

6-प्लास्टिक की कैन से गंधक का तेजाब (सलफ्युरिक ऐसिड)।

उक्त विस्फोट के मामले में फरार अभियुक्त हैदर और दाऊद की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें निरन्तर दबिश दे रही हैं जिसके क्रम में आज दिनांक 24.09.2021 को थाना झिंझाना पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में 25,000 रुपये का इनामी अपराधी दाऊद को पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा इन अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जिसके कब्जे से बम बनाने में प्रयोग किये जाने वाली सामग्री गंधक और कलमीसोरा (पोटेशियम नाइट्रेट) बरामद हुये है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त दाऊद से पुलिस द्वारा की गयी पूछताछ में उसके द्वारा बम बनाये जाने सम्बन्धी जानकारी दी गई है उसने बताया है कि गंधक, कलमीसोरा को निश्चित मात्रा में मिलाकर लोहे के शॉकेट में रखकर उसके बीच कांच के शीशे में गंधक का तेजाब लेकर ऊपर से शीशी को टेप से बन्द कर लोहे के शॉकेट में रखा गया तथा शॉकेट को ऊपर से ढ़कने से बन्द कर दिया। जैसे ही इसे हिलाया जाता तेजाब निकल कर गंधक और कलमीसोरा (पोटैशियम नाईट्रेट) से मिल जाता और विस्फोट हो जाता। धमाका होने पर लोहे के शॉकेट के टूकडे की तीव्रता के साथ बिखरने के लिए शॉकेट में ग्राइन्डर से लाईनिंग बनाई गई थी। साथियों के साथ बम बनाकर बिजली की दूकान पर रखकर दूकान मालिक को नुकसान पहुंचाना ही अपराधियों का उद्देश्य था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. इमाम दाऊद पुत्र तहसीन निवासी ग्राम नाईनगलानवीन थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री समयपाल सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

2- हे0का0 रामअवतार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3- हे0का0 61 भूपेन्द्र सिहँ थाना झिंझाना जनपद शामली।

4- का0 विकास कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

5- का0 ज्ञानेन्द्र थाना झिंझाना जनपद शामली।

6- का0 नितिन कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।